

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांक :- प2/लेखा-1/प्लान/बआ/शिविर/2016-17/

दिनांक

जिला आयुर्वेद अधिकारी,
निम्नानुसार

विषय:- वर्ष 2016-17 में विशिष्ट संगठक योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 10 दिवसीय आयुर्वेद अन्तरंग चिकित्सा शिविर लगाने हेतु बजट आवंटन बाबत।

वर्ष 2016-17 में विशिष्ट संगठक योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 10 दिवसीय आयुर्वेद अन्तरंग चिकित्सा शिविर लगाने हेतु बजट मद 2210-02-789-(01)-[01] - 30 (उत्सव और प्रदर्शनिया) आयोजना मद में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

क्र. सं.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	दस दिवसीय अतरंग शिविर की संख्या	आवंटित राशि (लाख रूपयों में)
1	जि.आ.अ. अजमेर	1	2.00
2	जि.आ.अ. भीलवाडा	1	2.00
3	जि.आ.अ. टोंक	1	2.00
4	जि.आ.अ. चित्तौडगढ	1	2.00
5	जि.आ.अ. जयपुर 'अ'	1	2.00
6	जि.आ.अ. जयपुर 'ब'	1	2.00
7	जि.आ.अ. सीकर	1	2.00
8	जि.आ.अ. बीकानेर	1	2.00
9	जि.आ.अ. अलवर	1	2.00
10	जि.आ.अ. नागौर	1	2.00
11	जि.आ.अ. करौली	1	2.00
12	जि.आ.अ. जैसलमेर	1	2.00
13	जि.आ.अ. जोधपुर	1	2.00
14	जि.आ.अ. चुरू	1	2.00
15	जि.आ.अ. भरतपुर	1	2.00
16	जि.आ.अ. हनुमानगढ	1	2.00
17	जि.आ.अ. झुन्झूनू	1	2.00
18	जि.आ.अ. पाली	1	2.00
19	जि.आ.अ. श्रीगंगानगर	1	2.00
20	जि.आ.अ. जालौर	1	2.00

1. उपरोक्तानुसार राशि का व्यय निदेशालय के पत्र क्रमांक प.3/सामा-3/वि.स.यो/शिविर/2016-17/13507-08 दिनांक 17-06-2016 के निर्देशानुसार सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे।
2. प्रस्तावित शिविर का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रचर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. प्रावधित राशि का उपयोग आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमा अन्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावें। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।

SD
निदेशक

क्रमांक :- प2/लेखा-1/प्लान/बआ/शिविर/2016-17/14445 दिनांक 30-6-16

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2 परियोजना निदेशक (एस सी एस पी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी 3 /1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।
- 3 समस्त उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान।
- 4 प्रभारी सामान्य शाखा / सांख्यिकी/लेखा-4, कार्यालय हाजा।
- 5 प्रभारी अधिकारी, शल्य चल चिकित्सा इकाई अजमेर को देकर निर्देशित किया जाता है कि जिला आयुर्वेद अधिकारियों से सम्पर्क कर शिविरों का सफल आयोजन करावें।

6- अजमेर शिविर को वेतन पर उपलब्ध

वितीय सलाहकार,